(10)

छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय

क्रमांक /वि.स./स्था./2022 रायपुर, दिनांक / /2022

//कार्यालय-आदेश//

आदेशानुसार, पंचम विधानसभा के चौदहवां मानसून सत्र, 2022 दिनांक 20.07.2022 से दिनांक 27.07.2022 तक आहूत किया गया है । सत्रावधि के दौरान जिस दिन सभा की बैठक होगी, उन दिनों में विधान सभा सचिवालय का कार्यालयीन समय प्रात: 10.00 से सायं 06.00 बजे तक रहेगा, किन्तु यदि सभा की बैठक निर्धारित समय से अधिक समय तक चलती है, तो कार्यालय का समय सभा की बैठक समाप्त होने के एक घण्टे पश्चात् तक रहेगा ।

दिनांक 16, 17, 23 एवं 24 जुलाई, 2022 को कार्यालय का समय दोपहर 12.00 बजे से अपरान्ह् 04.00 बजे तक तथा 20 जुलाई, 2022 को कार्यालय का समय प्रात: 09.30 बजे से सायं 06.00 बजे तक या कार्य समाप्ति तक रहेगा ।

समस्त अधिकारी/ कर्मचारी दिनांक 20, 21, 25 एवं 26 जुलाई, 2022 को उन्हें प्रदायित शर्ट, पेंट के साथ जैकेट तथा 22 एवं 27 जुलाई, 2022 को सफारी ड्रेस में दृष्टव्य रूप से अपना परिचय पत्र लगाकर कार्यालय आयेंगे । समस्त वाहन चालक /चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी उन्हें प्रदाय किए गए निर्धारित वर्दी, जूते एवं टोपी पहन कर कार्यालय में उपस्थित रहेंगे ।

सत्र के दौरान यदि सभा की बैठक निर्धारित समय एवं निर्धारित कार्यालय समय से अधिक समय तक चलती है तो रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय एवं सिद्धार्थ चौक जाने वाली बस का प्रस्थान समय सभा की बैठक समाप्ति के 30 मिनट पश्चात् एवं विजेता काम्पलेक्स जाने वाली बस का प्रस्थान समय कार्यालय समय के 01 घण्टे पश्चात् रहेगा ।

समस्त अधिकारी निर्धारित कार्यालय समय के पश्चात् सचिव महोदय की अनुमति प्राप्त कर एवं समस्त कर्मचारी निर्धारित समय के पश्चात् अपने प्रभारी अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर ही कार्यालय छोड़ेंगे । अवकाश दिवसों में कार्यालय का समय दोपहर 12.00 बजे से 4.00 बजे तक किया गया है । समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों से यह अपेक्षित है कि समय का आवश्यक रूप से ध्यान रखें।

कोरोना वायरस संक्रमण (COVID-19) से बचाव हेतु सोशल डिस्टेंसिंग का पालन एवं मास्क का उपयोग करना अनिवार्य है ।

आदेश से,

उप सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

पृ.क्रमांक 7398/वि.स./स्था.2022 रायपुर, दिनांक 13/07/2022

प्रतिलिपि

01.मा. अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधान सभा, के सचिव को मा. अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ ।
02.मा. नेता प्रतिपक्ष, छ.ग. विधान सभा के विशेष सहायक को मा. नेता प्रतिपक्ष महोदय के सूचनार्थ
03.मा. उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा के निज सहायक को मा. उपाध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ ।
04.सचिव छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, के स्टॉफ ऑफिसर को सचिव महोदय के सूचनार्थ।
05.समस्त अधिकारी/कर्मचारी छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
06. सर्वर कक्ष ।

13/7/2022

अनुभाग अधिकारी,
छत्तीसगढ़ विधान सभा